मुख्य बातें

इस प्रतिवेदन में वित्तीय लेखाओं, विभागीय लेखाओं, विभागीय एमआईएस तथा अनुपालन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों से लिए गए आँकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष करों में प्रवृत्तियों, संघटन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में संघ सरकार की सकल कर प्राप्तियाँ (जीटीआर) ₹ 10,36,460 करोड़ थी, जो जीडीपी के 10.25 *प्रतिशत* को दर्शाता है। सकल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2008-09 में 55.16 *प्रतिशत* (₹ 3.34 लाख करोड़) से घटकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 53.93 *प्रतिशत* (₹ 5.59 लाख करोड़) हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात निगम कर वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 2.13 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 3.56 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 1.06 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1.97 लाख करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए स्वैच्छिक अनुपालन में 83.1 *प्रतिशत* से 77.5 *प्रतिशत* तक की गिरावट आई थी। तथापि, इसमें गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए 87.0 *प्रतिशत* से 92.4 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

हमने देखा कि प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2010-11 में बजट प्राक्कलनों से अधिक था। संशोधित प्राक्कलन सभी वर्षों में यथार्थ पाए गए थे क्योंकि वास्तविक संगहणों और संशोधित प्राक्कलनों का अन्तर (-) 3.23 *प्रतिशत* से शून्य *प्रतिशत* के बीच था।

कर छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व पिछले वर्षों (वित्तीय वर्ष 2010-11 को छोड़कर) की तुलना में निरपवाद रूप से बढ़ रहा है, परन्तु जीडीपी, प्रत्यक्ष कर और जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में कर व्यय घट रहा है।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 2.01 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 4.86 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में 96 *प्रतिशत* से अधिक कि असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

निपटान हेतु लम्बित संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 2011-12 में 4.1 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2.8 लाख हो गए। कुल 5.9 लाख संवीक्षा निर्धारण मामलों में से, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3.1 लाख (51.9 *प्रतिशत*) मामलों का निपटान किया था।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1.58 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.99 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में केवल 85,049 अपीलों (29.9 *प्रतिशत*) का निपटान किया गया था। सीआईटी (अपील) के पास वित्तीय वर्ष 2012-13 में अपील मामलों में अवरूद्ध राशि ₹ 2.59 लाख करोड़ थी।

हमने देखा कि लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष 2008-09 में 15.5 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 11.2 लाख हो गई।

आयकर विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 67.83 *प्रतिशत* लक्षित लेखापरीक्षाएं पूरी की।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 270.40 करोड़ की वसूली की।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2.33 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिनमें से हमने 2.15 लाख मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में गलतियाँ 0.17 लाख थी जो औसतन 7.9 *प्रतिशत* थी।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 459 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से मंत्रालय ने 226 मामले (49 *प्रतिशत*) स्वीकार कर लिए। 12 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। 221 मामलों में हमें अभी फरवरी 2014 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 55,072 मामले इक्ट्ठे हो गए जिनमें 31 मार्च 2013 तक ₹ 55,202 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 899.87 करोड़ के कर प्रभाव के 2,207 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु कालबाधित हो गए।

हमने निगम कर से संबंधित 332 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 2,193.75 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 774.41 करोड़ (122 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/ कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 1,005.48 करोड़ (146 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 251.80 करोड़ (36 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 162.06 करोड़ (28 मामले) शामिल थे।

हमने आयकर से संबंधित 110 उच्च मूल्य मामले बताए जिनमें ₹ 171.87 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 50.78 करोड़ (38 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/ कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 80.06 करोड़ (35 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 27.22 करोड़ (30 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 13.81 करोड़ (सात मामले) शामिल थे। इसके अलावा, हमने धनकर से संबंधित ₹ 188.40 लाख के कर प्रभाव वाले 17 मामलों के बारे में भी बताया।

हमने पाया कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निर्धारित अवधि में औसतन 59 *प्रतिशत* शिकायतों का निपटान किया। हमने 7,167 शिकायतों के दृष्टांत पाए जो 31 मार्च 2012 तक संबंधित एओ द्वारा निपटान हेतु लम्बित थे। 31 मार्च 2012 तक इन शिकायतों की लम्बन अवधि दो दिन से 10 वर्ष से अधिक तक थी जो 60 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक थी। शिकायतों के लम्बन से प्रणाली और प्रशासनिक तंत्र में विभिन्न खामियों का पता चलता है। आयकर विभाग में शिकायतों के निवारण की मानीटरिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण उचित नहीं था क्योंकि विहित रजिस्टर/ मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी थी।